न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी: श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या: 39 / 2024
जीसीएमएस संख्या: 2024 / 61
निर्णय दिनांक: 25/06/25

गोपीराम प्रजापत पुत्र चोखाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान ....वादी

बनाम

1. इजुराम पुत्र चोखाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. कैलाश पुत्री गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. चैनाराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4. धर्माराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
5. पतासीदेवी पत्नि गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
6. ममता पुत्री गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
7. मोनिका पुत्री गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
8. राजकुमार पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
9. लालाराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
10. मालाराम पुत्र चोखराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सुजानगढ तहसील कार्यालय सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थितिः—

1. श्री अंकित चौहान एडवोकेट वादी।
2. श्री सलीम खां एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 10।
3. प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकार उपस्थित ।

—: निर्णय :—

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग का खेत खसरा संख्या 722/415 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 724/281 रकबा 1.7323 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 2.0484 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वादगत भूमि में वादी गोपीराम का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में नियत है। जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि वादी के स्वामित्व मालिकाना अधिकार में चली आ रही है। दावा जिसके विभाजन हेतु वादी ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बावत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना स्वीकार किया। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बावत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 722/415 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 724/281 रकबा 1.7323 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 2.0484 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी खेत खसरा संख्या 722/415 में 0.3161 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 724/281 में 0.1960 हैक्टेयर हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

एक रिकॉर्ड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का [illegible] करवा सकता है [illegible] के आधार पर [illegible] विभाजन [illegible] की हद तक अंतिम रूप से डिक्री किया जाना [illegible] है।

आदेश

अतः वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर [illegible] संख्या 11 तहसीलदार [illegible] सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि [illegible] भूमि [illegible] खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.3161 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या [illegible] कुल तादादी 2.0484 हैक्टेयर [illegible] हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक [illegible] कर एकसा से तरमीम करें। [illegible] मुकदमा [illegible] की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुतफर्रिकात [illegible]

(ऑर्डर [illegible] [illegible])

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अजलासत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

दस्तखत श्री ओमप्रकाश [illegible], आर.ए.एस.

गोपीराम बनाम पुसाराम आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 39 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रु–ब–रु .... पैरोकार राज ..हाजरी श्री अंकित चौहान अधिवक्ता, .मिनजानिब मुद्दई व **मिनजानिबमुदापलाह** पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी **अन्तिम** रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित **किया** जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 722/415 रकवा 0.3161 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 724/281 रकबा 1.7323 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 2.0484 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू मे हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज..मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमावी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 06 2025

दस्तखत ....

ओहदा उप खण्ड अधिकारी ...

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	[illegible]	पै.
स्टाम्पअर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनतानावकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्जकरना चाहिये।